दिनांक 23.02.2012 को आहूत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :—

उपस्थिति :—

श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक—सह—कार्यालय प्रधान
श्री राजीव चौहान, संयुक्त निदेशक(प्रशासन)
श्री अशोक कुमार ठाकुर, संयुक्त निदेशक
श्री उपेन्द्र कुमार दास, संयुक्त निदेशक(कृषि)
श्री अवध किशोर सिन्हा, संयुक्त निदेशक
श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव—सह—प्रभारी पदाधिकारी
श्री विजय शंकर, उप निदेशक
श्री शिव नन्दन यादव, उप निदेशक
श्री शिवेन्द्र कुमार वर्मा, उप निदेशक
डा० निर्भय कुमार, उप निदेशक
श्री राजीव कुमार, उप निदेशक
डा० विनय कुमार, उप निदेशक (सां०) पटना प्रमंडल, पटना
श्री सियाराम प्रसाद, उप निदेशक (सां०) मगध प्रमंडल, गया
श्री भास्कर मित्र, उप निदेशक (सां०) तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
डा०सुरेश स्वप्निल, उप निदेशक (सां०)भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
श्री विश्वरंजन भट्टाचार्य, उप निदेशक (सां०) मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
श्री ब्रजेश कुमार त्रिवेदी, उप निदेशक (सां०) सारण प्रमंडल, सारण
श्री धीरेन्द्र नारायण मिश्रा, कोशी प्रमंडल, सहरसा
श्री रतन कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक
श्री उदय प्रसाद सिंह, सहायक निदेशक
श्री मनोरंजन कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक

श्री विन्देश्वर राम, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,बक्सर / डा० मनोज कुमार चौधरी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/श्री सोमेश्वर प्रसाद, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भभुआ/श्री मुरली मनोहर प्रसाद सिन्हा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया/ मो०सरवर आलम, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अरवल/श्री कामेश्वर प्रसाद, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नवादा/डा० सुनील जी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद/श्री चन्द भूषण, डी०पी०ओ०—सह—जि०सां०पदा०, औरंगाबाद/श्री परमेश्वरनाथ तिवारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली/श्री संजीव कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीतामढ़ी/श्री ललिता प्रसाद राम, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शिवहर/श्री अवधेश प्रसाद, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/श्री जय किशुन सिंह, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,पश्चिम चम्पारण/ श्री नवीन कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,सारण/ श्री दूधनाथ राम, जिला

सांख्यिकी पदाधिकारी, गोपालगंज/श्री सुधीर कुमार झा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,दरभंगा/मो०हसनैन अखतर, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधुबनी/श्री विनोद मणी झा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर/श्री पदमसेन कुमार सिन्हा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुंगेर/श्री रंजन कुमार दास, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शेखपुरा/श्री गणेश राम, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय/ श्री राज देव दास, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,भागलपुर/श्री संतोष कुमार सिन्हा , जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बॉका/श्री विपिन कुमार मांझी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा/डा०सत्य प्रकाश पासवान, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा/श्री सुरेन्द्र कुमार, प्रकाश यादव, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल/मो०अलि अकवर, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णियॉ/श्री मिथिलेश कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया ।

श्री ललन कुमार गुप्ता, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना/श्री अशोक कुमार सिन्हा, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर/श्री मदन मोहन दास, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा/श्री विरेन्द्र कुमार तिवारी, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, गया/श्री प्रकाश कुमार, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, नवादा/श्री उदय प्रताप राय, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, दरभंगा /श्री परमेश्वर लाल विश्वास, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/श्री अनिल कुमार, कनीय सांख्यिकी सहायक, मुजफ्फरपुर/श्री राकेश रंजन कुमार, कनीय सांख्यिकी सहायक, लखीसराय/श्री मृत्युंजय कुमार, कनीय सांख्यिकी सहायक, जमुई/श्री सुरेश ठाकुर, कनीय सांख्यिकी सहायक, कटिहार।

<u>अनुपस्थिति :–</u>

उप निदेशक(सांख्यिकी) पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ /दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पटना/भोजपुर/जहानाबाद/ नवादा/ मुजफ्फरपुर / सिवान/लखीसराय/जमुई/ खगड़िया /किशनगंज/कटिहार

जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों के अनुपस्थिति के संबंध में पाया गया है कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी स्वयं उपस्थित न हो कर सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/कनीय सांख्यिकी सहायक/संकलक को भाग लेने हेतु प्राधिकृत करतें हैं, जबकि सभी प्रभारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ही उपस्थित होने का निदेश है। इसके वाबजूद भी आज दिनांक 23.02.2012 को राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में, पटना, भोजपुर, जहानाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, सिवान, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, किशनगंज एवं कटिहार के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये है। इनके अतिरिक्त और भी कई पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित हैं, उनसे स्पष्टीकरण की मॉग कर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन प्रशाखा पदाधिकारी–1)

स्थापना :–

न्यायालयवाद :– सी०डब्लू ०जे०सी०नं०13580/08 अर्चना मिश्रा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामलें में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना के द्वारा अबतक प्रतिशपथ पत्र दायर नही किया जाना, खेदजनक स्थिति है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को यथाशीध्र प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया।

सी०डब्लू ०जे०सी०नं०17609/2009 बिहार राज्य गन्न उत्पादन संध बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामलें में भी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर के द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर नही किया जाना खेदजनक स्थिति है। अतः जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर को भी प्रतिशपथ पत्र यथाशीध्र दायर करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना एवं समस्तीपुर)

विभागीय कार्यवाही:–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा बताया गया कि श्री लक्ष्मण मरांडी, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं श्री उमाशंकर कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भागलपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर निदेशालय को प्रेषित किया गया है। कृपया दोनों कर्मियों क`विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

(अनुपालन प्रतिवेदन स्थापना प्रशाखा– 1 एवं 2)

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया है कि श्री जितेन्द्र प्रसाद, लिपिक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, छपरा से विरमित होने के बावजूद भी स्थानांतरति पद पर योगदान अबतक नहीं किये है।कृपया यथोचित कार्रवाई शीध्र किया जाय।

(अनुपालन प्रतिवेदन स्थापना प्रशाखा– 2)

जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद के द्वारा बताया गया कि इस कार्यालय के पिउन का प्रतिनियुक्ति उप निदेशक सांख्यिकी कार्यालय, मगध प्रमंडल गया में कर दिया गया है जिसके कारण कार्यालय के कार्यो में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः प्रतिनियुक्ति समाप्ति की दिशा में यथोचित कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन प्रतिवेदन स्थापना प्रशाखा– 2)

आवंटन :– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर के द्वारा बताया गया कि प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के वेतन मद में आवंटन के आभाव में श्री संतोष कुमार जो बी.एस. एस. के पद पर विद्यापतिनगर प्रखंड, समस्तीपुर में पदस्थापित हैं उन्हें आठ (8) माह से वेतन भुगतान लंबित है। अतः वेतन मद में अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता है। आवंटन यथाशीध्र निर्गत किया जाय।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय के द्वारा भी बताया गया कि सी.एस.ओ. शीर्ष में आवंटन की आवश्यकता है। कृपया आवंटन निर्गत करने के संबंध में यथोचित कार्रवाई

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय के द्वारा भी बताया गया कि सी.एस.ओ. शीर्ष में आवंटन की आवश्यकता है। कृपया आवंटन निर्गत करने के संबंध में यथोचित कार्रवाई की जाय।

इसी प्रकार जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सीतामढ़ी के द्वारा भी संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु आवंटन की आवश्यता जतायी गई है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा भी आकस्मिकता मद में आवंटन निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। कृपया आवंटन निर्गत करने की दिशा में यथोचित कार्रवाई यथाशीध्र किया जाय।

(अनुपालन प्रतिवेदन प्रशाखा पदाधिकारी–2)

(अनुपालन प्रतिवेदन डी.एस.ओ. पटना)

जिला सांख्यिकी कार्यालय, सीतामढ़ी के द्वारा दायर लंबित याचिकाओं के विरूद्ध अबतक प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया गया है, जो खेदजनक है। अतः अबिलंब प्रतिशपथ पत्र दायर करने की दिशा में यथोचित कार्रवाई किया जाय।

(अनुपालन प्रतिवेदन डी.एस.ओ. सीतामढ़ी)

<u>सेवान्त लाभ :–</u> सेवान्त लाभ के संदर्भ में समीक्षोपरान्त पाया गया कि सेवान्त लाभ की स्थिति जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया का ज्योका त्यों है। अतः यह खेदजनक स्थिति है । अभी तक श्री ज्ञान शंकर प्रसाद का ग्रुप बीमा योजना मद का भुगतान नही हो पाया है।

जिला सांख्यिकी कार्यालय, सीवान का स्थिति खगड़िया के समतुल्य ही है। अतः जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया एवं सीवान को निदेश दिया गया कि यथाशीध्र त्वरित गति से सेवान्त लाभ के भुगतान के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया एवं सीवान)

जिला सांख्यिकी कार्यालय गोपालगंज में प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक का दो पद स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध तीन कर्मी पदस्थापित है जिसके कारण वेतन भुगतान करने में कठिनाई हो रही है। यथाशीध्र स्थापना प्रशाखा –1 इसका निष्पादन कर यथोचित निदेश जिला सांख्यिकी कार्यालय गोपालगंज को प्रेषित करेंगे।

श्री सदानंद मंडल जिला सांख्यिकी कार्यालय, बेगुसराय में पदस्थापित है, उनका स्थानान्तरण जिला सांख्यिकी कार्यालय, अररिया किया गया है परन्तु वे अबतक अपने पदस्थापन स्थान से विरमित नही हो पाये है जों खेदजनक स्थिति है, प्रशाखा पदाधिकारी , स्थापना –1 त्वरित गति से आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन प्रतिवेदन प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना–1)

<u>व्यय विवरणी</u> :– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं उप निदेशक (सांख्यिकी)को व्यय विवरणी ससमय प्रेषित करने का निदेश दिया गया है। व्यय विवरणी ससयम प्रेषत नहीं किये जाने पर आवंटन निर्गत नहीं किया जायेगा। अतः इस ओर आवश्यक घ्यान आकृष्ट किया गया है।

अंकेक्षण :– अंकेक्षण के संबंध में स्थिति पूर्ववत है। इस ओर भी उप निदेशक सांख्यिकी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया गया, उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वे अपने अपने कार्यालय के संर्दभ में वित्त अंकेक्षण के प्रमंडलीय कार्यालय से सर्म्पक स्थापित कर सभी अपत्तियों के संबंध में पूर्ण विचार विमर्श कर उनके अनुपालन एवं विलोपन के संबंध में कार्यावाई करेंगे। इसके वाद वे मुख्यालय को प्रतिवेदित भी करेंगे।

तकनीकी मामलें :–

कृषि सांख्यिकी

फसल कटनी प्रयोग:– (i) कृषि वर्ष 2010–11 के गरमा मौसम की धान, मकई एवं मूंग फसल की संपादित अनुसूचियों अनेक जिलों में लंबित पायी गयी। जिलावार लंबित सूची से उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया । निदेश दिया गया कि गरमा मौसम 2010–11 की सभी लंबित कटनी अनुसूची दिनांक 29.02.2012 तक निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। अगले माह से इसकी समीक्षा नहीं की जायेगी।

अनुपालन – सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ii) कृषि वर्ष 2011–12 भदई मौसम के मकई, मूंग, जूट, मरूआ एवं मेस्ता फसल कटनी प्रयोग की संपादित अनुसूचियों अनेक जिलों में लंबित पायी गयी। जिलावार लंबित स्थिति से अवगत कराते हुए निदेश दिया गया की सभी संपादित अनुसूचियाँ 29.02.12 तक निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

अनुपालन – सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iii) कृषि वर्ष 2011–12 अगहनी धान फसल की संपादित अनुसूचियों अनेक जिलों में लंबित पायी गयी। जिलावार लंबित सूची से अवगत कराते हुए निदेश दिया गया की सभी संपादित अनुसूचियाँ 29.02.2012 तक निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। अनुसूची लम्य नहीं कराने वाले प्रयोगकर्त्ता के विरूद्ध सम्यक कार्रवाई करते हुए उसका नाम एवं पदनाम निदेशालय को उपलब्ध करायें।

अनुपालन – सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iv) संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS):- सहकारिता विभाग, बिहार के द्वारा इस योजना के अधीन मुंगेर, शिवहर एवं जमुई जिला में खरीफ 2011–12 में अगहनी धान, ईख एवं मकई फसल पर तथा रब्बी मौसम में गेहूँ, मकई, चना, राई–सरसों अरहर एवं मसूर फसल पर कटनी प्रयोग आयोजित किया गया है जिसकी सूचना सहकारिता विभाग द्वारा संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है। उन्हें पुनः बीमा ईकाई को ध्यान में रखते हुए फसल कटनी प्रयोग तथा फसल आच्छादन क्षेत्र (ईकाईवार) की सूचना ससमय उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन – सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षणः– फसल कटनी प्रयोग के आँकड़ें की विश्वसनीयता एवं शुद्धता के लिये राज्य सरकार से निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप विभागीय एवं गैर विभागीय पदाधिकारियों से निरीक्षण कराने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि यदि कटनी प्रयोग का प्राप्त परिणाम अविश्वसनिय प्रतीत होता हो तो इसकी स्थल जाँच कर ही अनुसूचियाँ निदेशालय को प्रेषित किया जाय।

अनुपालन – सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(i) संयुक्त निदेशक– सह– कार्यालय प्रधान द्वारा निदेश दिया कि जहाँ से भी फसल कटनी प्रयोग का उपज **शून्य** (000) प्रतिवेदित है, वहाँ के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी उसका स्थलीय जाँच कर स्पष्ट प्रतिवेदन दिनांक–29.2.2012 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेगे।

अनुपालन – सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ii) फसल कटनी प्रयोग की प्राप्त अनुसूचियों में कतिपय पाई गयी त्रुटियों से संबंधित जिलों को अवगत कराते हुये उसका शीघ्र समाधान करने एवं भविष्य में उस पर विशेष ध्यान रखने का निदेश दिया गया।

अनुपालन – सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iii) कृषि वर्ष 2011–12 का भदई मौसम का सामान्य जिंसवार एवं तत्सम्बंधी विवरणी का जिलावार समीक्षा किया गया। ये प्रतिवेदन अधिकांश जिलों से अब भी लंबित है। निदेश दिया गया कृषि वर्ष 2011–12 का लंबित भदई एवं अगहनी सामान्य जिंसवार 15.03.12 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन – सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

केन्द्रीय प्रक्षेत्र योजना– द्रुत सर्वेक्षण योजना एवं फसल सांख्यिकी सुधार योजना केन्द्रीय प्रक्षेत्र योजना है जिसका दायित्व सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी(कृषि) को सौंपा गया है। भदई एवं अगहनी मौसम की अनुसूची 1.0, 1.1 एवं 2.0 दिनांक 29.02.2012 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करने का निदेश दिया गया है। उन जिलों जहाँ सहायक सांख्यिकी पदा०(कृषि) पदस्थापित है वहाँ प्रतिवेदन/अनुसूची लंबित रहने पर गंभीर चिंता प्रकट की गयी।

अनुपालन – सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी(कृषि) का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। अधिकांश क्षेत्रीय सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी(कृषि) द्वारा नियमित रूप से अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन ससमय प्रेषित नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि सभी लंबित प्रतिवेदन 29.02.2012 तक उपलब्ध करा दिया जाय। भविष्य में ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अधीनस्थ सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी(कृषि) को निदेशित किया जाय।

अनुपालन – सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

फल सब्जी कटनी प्रयोग – कृषि वर्ष के 2010–11 के आम, कटहल, लीची, केला, अमरूद्व के कटनी प्रयोग अधिकांश जिलों में लंबित पाये गये। जहाँ कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का पद रिक्त है वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था कर भविष्य में फल–सब्जी कटनी प्रयोग संपादित कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन – सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

वर्षापात प्रतिवेदन–

(i) लंबित पाक्षिक एवं दैनिक/मासिक प्रतिवेदन से उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही लंबित साप्ताहिक मौसम एवं फसल प्रतिवेदन को भी शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।

(ii) उपस्थित पदाधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में अधिष्ठापित वर्षामापक यंत्र का निरीक्षण कराकर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। साथ ही अधिष्ठापन के निमित्त यदि राशि की आवश्यकता हो तो पत्र के माध्यम से निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जाय।

अनुपालन – सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

जीवनांक प्रशाखा

सर्वप्रथम मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) बिहार, पटना द्वारा वर्ष 2011 में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में प्रगति से संबंधित ऑकड़ों का जिलावार विस्तार से समीक्षा की गई। वर्ष 2011 में जन्म–मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के संयुक्त प्रतिशत के आधार पर 71.11% प्राप्त कर शेखपुरा जिला प्रथम, 70.56% प्राप्त कर पटना द्वितीय, एवं 66.03% प्राप्त कर मुजफ्फरपुर तृतीय स्थान पर रहा। न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाले तीन जिला यथा अररिया (13.34%), सीतामढ़ी (24.95%), मधेपुरा (27.25%) रहा। निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च प्रतिशत प्राप्त करने वाले जिला को विभागीय प्रधान सचिव के समक्ष प्रशंसा पत्र देने हेतु प्रस्ताव दिया जाय। साथ ही न्यूनतम प्रतिशत वाले जिलों से कारण पृच्छा की जाय। युनिसेफ बिहार, पटना द्वारा समर्थित पायलेट परियोजना अन्तर्गत जिला वैशाली, दरभंगा, सीवान एवं नालंदा जिलों में कार्य प्रगति से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रेषण हेतु संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया। आंगनबाड़ी सेविका के उप रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) की अधिसूचना सभी जिला में भेज दी गई है, साथ ही मार्गदर्शिका एवं प्रशिक्षण पुस्तिका शीघ्र भेज दी जाएगी। निदेशालय से जीवनांक सांख्यिकी कार्यो के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करने हेतु भाड़े की गाड़ी उपयोग करने के लिए आवंटन भेज दी गयी है, को निदेशानुसार उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय भेजने का निदेश संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को दिया गया। समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक जीवनांक ने जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को सुझाव दिया कि ग्रामीण इकाइयों में नियमित

रूप से अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के अनुरूप निरीक्षण कार्य किया जाए तो जीवनांक सांख्यिकी कार्यों में गुणात्मक सुधार हो सकता है। जीवनांक संबंधित प्रतिवेदन यथा M.C.C.D. धारा 4(4), प्रपत्र 'क' एवं 'ख' निर्धारित समयानुसार प्रेषण हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया। कई एक बार स्मार दिए जाने के बावजूद जिलों से दिवाल लेखन, गोदरेज आलमीरा क्रय एवं प्रशिक्षण आदि में दिए गए आवंटन के आलोक में अभिश्रव एवं शेष राशि निदेशालय को अप्राप्त है, अतः अविलम्ब भेजने हेतु निदेश दिया गया।

जीवनांक कार्य हेतु संबंधित प्रपत्रों का व्यादेश गया जेल प्रेस को दिया जा चुका है, निदेश दिया गया कि अविलम्ब प्रपत्रें का उठाव कर निदेशालय को सूचित की जाए।

<u>लधु सिचाई गणना</u> :–

1. **उपयोगिता प्रमाण पत्रः–** निदेशालय के अंतिम स्मार संख्या 1929 दिनांक 17.10.2011 द्वारा मानदेय हेतु दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कैमूर, प०चम्पारण, किशनगंज, बक्सर एवं सासाराम से प्राप्त हुआ है। शेष जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को राशि वितरित कर उपयोगिता प्रामण पत्र शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

2. संयुक्त निदेशक–सह–कार्यालय प्रधान द्वारा बताया गया कि चतुर्थ लघु सिचाई गणना का शेष आवंटन राशि भेजने की कार्रवाई की जा रही है तथा लघु सिचाई गणना में राशि अतिरिक्त हों तो सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर सभी संबंधित सलंग्न पदाधिकारियों/कार्यक्रर्ताओं को मानदेय दिया जाय।

(अनुः– लघु सिचाई गणना)

3. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी गया द्वारा बताया गया कि प्राप्त आवंटन में 10 ग्रामों की कमी है। बताया गया कि ग्रामों की संख्या के आधार पर जिलों को आवंटनादेश भेजा गया है।

(अनुः– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया)

4. बैठक में बताया गया कि पंचम लघु सिचाई गणना 2011–12 का क्षेत्रीय कार्य जुलाई 2012 में प्रारम्भ होने की संभवना है। पंचम लघु सिचाई गणना की राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समन्वय समिति संबंधित अधिसूचना की प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी गयी

(अनुः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

<u>आर्थिक गणना</u>

उप महालेखाकार (सी0ए0) बिहार, पटना से वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक के व्यय आकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में वर्ष 2007–08 में व्यय किये गए 45,923/= (पैंतालिस हजार नौ सौ तेईस) रूपये का डी0सी0 बिल लम्बित होने की सूचना दिया है। बैठक में उपस्थित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह

आहरण–व्ययन पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय उप निदेशक (सां0) सह आहरण–व्ययन पदाधिकारी को इससे अवगत कराया गया, साथ ही निदेश दिया गया कि अपने अधीनस्थ कार्यालय में इसकी जाँच कर प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करायें।

अनुपालन– सभी आहरण–व्ययन पदाधिकारी मुख्यालय/ क्षेत्र।

11. बैठक में उपस्थित सभी निकासी–व्ययन पदाधिकारी को निदेशालय का अव्ययहृत राशि हेतु Receipt Head मुख्य शीर्ष–3454 जमा शीर्ष–1475 Other General Economic Services , 012 Statistics की जानकारी दी गई।

सभी प्रतिभागियों को छठे आर्थिक गणना के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति के सभी सदस्यों को जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष समन्वय समिति की ओर से भी पत्र के द्वारा सूचित कर पत्र की एक प्रति निदेशालय के आर्थिक गणना प्रशाखा को उपलब्ध कराने का निदेश पुनः दिया गया।

अनुपालन– सभी जिला किशनगंज, शिवहर, कटिहार, बक्सर, नालन्दा, कैमूर, बाँका, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर, गोपालगंज, पटना एवं औरंगाबाद को (छोड़कर) शेष सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

औद्योगिक उत्पादन एवं मूल्य प्रशाखा

<u>नमक मूल्य प्रतिवेदन</u>

राज्य के 38 जिलों से माहवार नमक मूल्य का संग्रह किया जाता है। नमक मूल्य का प्रतिवेदन जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी से प्राप्त होता है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नमक मूल्य का प्रतिवेदन सभी जिलों से नियमित रूप से निदेशालय में प्राप्त नहीं हो रहे है। बैठक में सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला आपूर्त्ति कार्यालय से समन्वय स्थापित कर प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

<u>कृषि पदार्थो का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य</u>

राज्य के 51 केन्द्रों से 56 कृषि पदार्थो का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य का संग्रह किया जाता है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी केन्द्रों से नियमित रूप से प्रतिवेदन निदेशालय में प्राप्त नहीं हो रहे है। इसके अतिरिक्त प्राप्त प्रतिवेदनों में कई त्रुटियाँ पाई गई है यथा–धान के मूल्य में कमी परन्तु संगल चावल का मूल्य यथावत या वृद्धि, सरसों तेल का मूल्य टीन में/लीटर में/किलोग्राम में, केला का मूल्य दर्जन/घौद/किलोग्राम आदि। प्रपत्र में मानक इकाई के अनुरूप ही प्रतिवेदन भेजने पर बल दिया जाय। बैठक में निदेश दिया गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी निदेशालय के मूल्य प्रशाखा में सीधे प्रतिवेदन का नियमित एवं सामयिक प्रेषण सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
(अरवल, शिवहर एवं शेखपुरा को छोड़कर)

औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रतिवेदन

औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1939=100 से संबंधित मूल्य संग्रह का कार्य तीन केन्द्रों यथा–1. पटना सिटी 2. मुजफ्फरपुर एवं 3. डिहरी ऑन सोन से साप्ताहिक रूप में प्राप्त होते हैं। पटना सिटी से नियमित रूप से प्राप्त हो रहे है। लेकिन मुजफ्फरपुर से 08.04.11 से 12.08.11 का प्रतिवेदन लंबित है। डिहरी ऑन सोन का जनवरी 2010 से अबतक प्रतिवेदन लम्बित है। मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन में तम्बाकू का मूल्य 20 रु० प्रति किलोग्राम दिखाया गया है जो स्वीकार्य नहीं है। प्रतिवेदन में आँकड़ों की विश्वसनीयता अनिवार्य है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी , मुजफ्फरपुर एवं रोहतास को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन का नियमित एवं सामयिक प्रेषण सुनिश्चित करेगें।

अनुपालन–जिला सांख्यिकी पदाधिकार (मुजफ्फरपुर एवं रोहतास)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

राज्य स्तर पर 34 जिलों से चयनित कुल 512 औद्योगिक इकाईयों से विहित प्रपत्र में मासिक प्रतिवेदन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त हाने है। परन्तु सभी जिलों से उक्त प्रतिवेदन नियमित रूप से ससमय पर निदेशालय को प्राप्त नहीं हो रहे है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की इसमें अपेक्षित अभिरूचि नहीं लिए जाने के कारण एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से समन्वय के अभाव के कारण आँकड़ों का नियमित एवं सामयिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है। सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से समन्वय स्थापित कर मासिक प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) नियमित रूप से अनुवर्त्ती माह की 10 वीं तारीख तक सीधे संयुक्त निदेशक (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
(अरवल, खगड़िया, मधेपुरा एवं शिवहर को छोड़कर)

रान्यास

1. रान्यास 68वें सत्र के माह जनवरी 12 तक सर्वेक्षित प्रतिदर्शो की भरी गई अनुसूचियाँ 29.02.2012 तक निश्चित रूप से निदेशालय में जमा करा देने का निदेश दिया गया। निदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित अन्वेषक का वेतन अवरूद्ध रखा जाय।

(अनुपालन–रान्यास से संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

2. रान्यास 68वें सत्र से संबंधित रान्यास अन्वेषकों का भ्रमण कार्यक्रम अनुमोदित करने के पश्चात प्रतिदर्श जिस प्रमंडल/जिला का हों उससे संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक सांख्यिकी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उसकी प्रतिलिपि निश्चित रूप से लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–रान्यास से संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

3. निदेश के बावजूद अधिकांश जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों के निरीक्षण की स्थिति काफी दयनीय है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया की लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित किया जाय।
(अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

4. सारण निरीक्षणालय से रान्यास से सम्बन्धित प्रतिवेदन ससमय प्राप्त नहीं होते हैं। निदेश दिया गया की रान्यास से सम्बन्धित प्रतिवेदन (मासिक प्रगति प्रतिवेदन/ अन्वेषक का भ्रमण कार्यक्रम/सर्वेक्षित प्रतिदर्श की भरी गयी अनुसूचियाँ) ससमय निदेशालय भेजा जाय।

(अनुपालन– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सारण)।

संयुक्त निदेशक
–सह–कार्यालय प्रधान।

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

ज्ञापांक :स्था०1/वि०3–57/09 547 पटना, दिनांक : 06-03-12

प्रतिलिपि :–सभी संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक (मुख्यालय एवं क्षेत्र) सभी सहायक निदेशक/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना 1 एवं 2/सभी संबंधित प्रशाखा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन कराते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब प्रेषित की जाय तथा आगामी आहूत सम्मेलन में उनकी एक–एक प्रति के साथ भाग लेना सुनिश्चित किया जाय ।

संयुक्त निदेशक
–सह–कार्यालय प्रधान।